न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा

मु0न0 25/2020

ता0रजू 31.08.2020

निर्णय दिनांक 06.10.2020

पीठासीन अधिकारीः— श्री दामोदर सिंह {आर.ए.एस.}

1. राजाराम पुत्र सुखदेवा जाति जाट निवासी ग्राम शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाड़ा
2. गोपाल पुत्र सुखदेवा जाट निवासी ग्राम शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाड़ा
3. छोटू पुत्र सुखदेवा जाति जाट निवासी ग्राम शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाड़ा
4. श्रीमति रामा देवी पत्नि स्व0 रामकिशन जाति जाट निवासी ग्राम शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाड़ा

प्रार्थीगण

ब ना म

सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

अप्रार्थी

उपस्थितिः—श्री सुधीर कुमार जैन एड0 प्रार्थीगण की ओर से

नायब तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा अप्रार्थी की ओर से

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

—: निर्णय :—

1. प्रार्थीगण की ओर से अस्थाई निषेधाज्ञा का धारा 212 राज0 टीनेन्सी एक्ट के अर्न्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि

1.1 प्रार्थीगण ग्राम शिवाड़ के निवासी है, तथा काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं।

1.2 प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व रामकिशन, गुड्डी, छोटी, श्योनारायण, सन्तरा जाति बागरिया निवासी ग्राम शिवाड़ के नाम वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073—76 वाके ग्राम शिवाड़ पटवार हल्का शिवाड़ ए में खसरा नंबर 1571 रकबा 0.66 है0 किस्म गै0 मु0 रास्ता तथा खसरा नंबर 1572 रकबा 0.60 है0 किस्म बारानी 1 दर्ज रिकॉर्ड है।

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

Scanned with CamScanner

1.3 उपरोक्त खसरा नंबर 1571 व 1572 के पास गै0 मु0 रास्ते को छोड़कर खसरा नंबर 1752 रकबा 1.14 है0 किस्म बारानी 1 व खसरा नंबर 1753 रकबा 0.12 है0 किस्म बंजड़ स्थित है, जो प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 एवं मृतक रामकिशन के नाम खातेदारी जमाबंदी संवत् 2073–76 ग्राम शिवाड़ पटवारी हल्का ए में दर्ज रिकॉर्ड है। इन दोनों खातों के अलावा खसरा नंबर 1570 रकबा 0.30 है0 किस्म गै0मु0 चारागाह ग्राम शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित है।

1.4 उक्त मदों में वर्णित भूमि ही वादान्तर्गत भूमि है एवं प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु है।

1.5 तहसील चौथ का बरवाड़ा का भू–सर्वेक्षण सेटलमेंट विभाग द्वारा सन् 1991–92 में किया गया था, तथा भू–सर्वेक्षण करने के बाद सन् 2002 में रिकॉर्ड राजस्व विभाग को सुपुर्द किया गया था। सन् 2002 से पूर्व राजस्व विभाग में पुराने रिकॉर्ड से ही सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी व अन्य किस्म के जैसे भूमि विकय, रहन आदि होते रहे हैं। नवीन रिकॉर्ड के अनुसार सन् 2002 के बाद राजस्व रिकॉर्ड से भूमी बेचान, रहन आदि अन्य कार्य होने लगे।

1.6 खसरा नंबर 1570, खसरा नंबर 1571 एवं खसरा नंबर 1572 तथा खसरा नंबर 1752 एवं खसरा नंबर 1753 वाके ग्राम शिवाड़ ए साबिक खसरा नंबर 1034 रकबा 34 बीघा 14 बिस्वा से सेटलमेंट विभाग ने भू–सर्वेक्षण करके बनाये हैं।

1.7 प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वज सुखदेव व रामकिशन जाति जाट निवासी शिवाड़ ने साबिक खसरा नंबर 1034/1 की 5 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 26.04.2000 को कय की थी और जिस भू–भाग पर विकेता रंगा, कल्याण व नानगी का कब्जा था, उसी स्थान पर कब्जा प्राप्त कर लिया था एवं लगातार काश्त करते चले आ रहे हैं। खातेदार रामकिशन जो प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का खास काका है व प्रार्थीया संख्या 4 का पति है की दिनांक 12.01.2020 को मृत्यु हो चुकी है, जिसकी प्रार्थी संख्या 4 जायज वारिस है। परन्तु अभी तक नामान्तरकरण विरासत राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने नहीं खोला है। इसलिये भूमि में रामकिशन का ही नाम बतौर खातेदार चला आ रहा है। श्रीमति रामा देवी उत्तराधिकारी होने से उसे पक्षकार बनाया गया है।

1.8 सेटलमेंट विभाग ने भू–सर्वेक्षण के दौरान जिस भूमि खसरा नंबर 1571 व 1572 पर प्रार्थीगण का कब्जा था, उसको श्योनारायण, गंगाराम, छीतर

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

Scanned with CamScanner

आदि के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया था व खसरा नंबर 1571 रकबा 0.6600 है0 की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया। इसको शुद्ध करवाने के लिए मृतक रामकिशन व सुखदेवा के वारिसान (प्रार्थीगण अन्य) ने एक प्रार्थना पत्र माननीय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा (Land Record Officer) के न्यायालय में पेश किया था जिसमें अप्रार्थीगण की तामील न होने से प्रार्थना पत्र तलबी में चलता रहा तत्पश्चात् बिना प्रार्थीगण की जानकारी के इस पत्रावली को अदम हाजिरी अदम पैरवी में फेसल बताकर पत्रावली संख्या 166/2011 को जिला रिकॉर्ड रूम में भिजवा दिया जबकि 28.02.2014 को अप्रार्थीगण की तामील दैनिक समाचार पत्रिका के माध्यम से कराने हेतु समय चाहने बाबत् लिखा जाकर आगामी पेशी दिनांक नियत की गई थी तथा अगली सुनवाई की पेशी दिनांक 23.04.2014 नियत कर दी गई थी।

1.9 सन् 2014 तक पत्रावली का निर्णय नहीं होने तथा अप्रार्थीगण द्वारा भूमि खातेदारी की दर्ज होने का फायदा उठाते हुए भूमि की बेचने की धमकी दी गई थी, सिससे क्षुब्ध होकर प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र स्टे बाबत् पेश किया था, जिस पर स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया क्योंकि अप्रार्थीगण की तामील नहीं हुई थी। बेचान करने की धमकी देने से स्थगन आदेश प्राप्त न होने की सूरत में अप्रार्थी श्योनारायण व अन्य से दिनांक 10.04.2014 को रामकिशन ने खसरा नंबर 1571 व 1572 वाके ग्राम शिवाड़ का 2/7 भाग जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर लिया था। उसके बाद इसी खसरा नंबरान में से दिनांक 10.06.2014 को राजाराम प्रार्थी ने 1/7 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ग्यारसी पुत्री स्व0 छीतर पत्नि श्री मेवा से क्रय किया और इसके पश्चात् इन्ही खसरा नंबरान में से दिनांक 09.12.2014 को गोपाल पुत्र सुखदेवा ने पप्पू पुत्र अम्बालाल, जलबाई, ममता पुत्रीयां अम्बालाल व ग्यारसी बेवा अम्बालाल से 4/35 हिस्सा क्रय कर लिया। अब प्रार्थीगण 19/35 हिस्से (68.4000 है0) के खातेदार काश्तकार होकर पूर्व से ही काबिज चले आ रहे हैं। इसमे प्रार्थीगण का निवास के लिये मकान भी बना हुआ है, जिसमें परिवारसहित निवास करते चले आ रहे हैं।

1.10 साबिक खसरा नंबर 1034/1 में तीन व्यक्तियों की खातेदारी थी, जिसमें रंगा व कल्याण पिसरान नाथू व नानगी बेवा नाथू जाति बागरिया से दिनांक 26.04.2020 को प्रार्थीगण के पूर्वज सुखदेव व रामकिशन ने 5 बीघा

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

Scanned with CamScanner

भूमि खरीद की थी। इसके अलावा 5 बीघा भूमि के खातेदार श्योनारायण व अन्य थे, जिनकी खातेदारी में सेटलमेंट ने नवीन खसरा नंबर 1571 व 1572 दर्ज कर दिया था। शेष 5 बीघा भूमि अन्य खातेदारान के नाम दर्ज रही। इसके अलावा 19 बीघा 14 बिस्वा जमीन सरकारी भूमि थी, जिसके नवीन खसरा नंबर 1569 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 1570 रकबा 0.30 है0, खसरा नंबर 1754 रकबा 0.60 है0, खसरा नंबर 1751 रकबा 0.45 है0, खसरा नंबर 1709 रकबा 0.30 है0, खसरा नंबर 1710 रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर 1774 रकबा 0.38 है0, खसरा नंबर 1782 रकबा 0.38 है0, खसरा नंबर 1781 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 1780 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 1779 रकबा 0.73 है0, खसरा नंबर 1778 रकबा 0.30 है0, खसरा नंबर 1708 रकबा 0.17 है0, खसरा नंबर 1698 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 1697 रकबा 0.32 है0 कुल रकबा 4.99 है0 वाके ग्राम शिवाड़ ए बनाये गये हैं।

1.11 खसरा नंबर 1710 रकबा 0.50 है0 गै0 मु0 चारागाह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। यह साबिक खसरा नंबर 1034/1 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा से बनाया गया है। सेटलमेंट विभाग ने इसको रास्ते के रूप में नक्शा ट्रेस की मूल शीट में दिखाया है। यह रास्ता मूल शीट में खसरा नंबर 1754 की हद तक जाता है। खसरा नंबर 1754 रकबा 0.60 है0 जो गै0मु0 चारागाह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जो साबिक खसरा नंबर 1034/1 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा से बना है।

1.12 प्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के लिये मूल शीट नक्शा ट्रेस में खसरा नंबर 1571 व खसरा नंबर 1572 दर्शाया गया था, उन नंबरान को पटवार शीट में खसरा नंबर 1571 के स्थान पर खसरा नंबर 1570 गलती करके दर्शा दिया गया है। अतः खसरा नंबर 1571 को चारागाह में रास्ते का भाग बनाकर दर्शा दिया है, जबकि मूल शीट के अनुसार रास्ता गै0मु0 चारागाह खसरा नंबर 1710 रकबा 0.50 है0 का है। इसी में खसरा नंबर 1751 नंबर डाल दिया है। इस प्रकार सेटलमेंट विभाग द्वारा बनाई गई मूल शीट में जिस भू–भाग को 1571 दर्शाया था, उसमें हैरा–फेरी करके खसरा नंबर 1570 दर्ज कर दिया है। इसी वजह से पटवार रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस को देखकर हल्का पटवारी प्रार्थीगण के खिलाफ धारा 91 एल0आर0 एक्ट की चारागाह पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट करता है, और प्रार्थीगण से पैनल्टी वसूल की जाती रही है, जो अवैध है। प्रार्थीगण बोनाफाईड पर्चेजर है तथा

उ. जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

Scanned with CamScanner

खातेदार काश्तकार है। इसलिये उनके खिलाफ कानूनन धारा 91 एल0आर0 एक्ट की कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जो कार्यवाही तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर की जाती रही है, व प्रारंभ से ही अवैध है। और अप्रार्थी को यह क्षेत्राधिकार नहीं है कि वह प्रार्थीगण को उनकी खरीदशुदा खातेदारी भूमि से बेदखली का आदेश पारित कर पैनल्टी वसूल करे।

1.13 प्रार्थीगण को यह अधिकार हासिल है कि वह अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1571 रकबा 0.66 है0, जिसकी किस्म गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, को काश्त करे तथा जो किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज कर रखी है, उसको शुद्ध करवाकर बारानी 1 राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज करवाये, साथ ही पटवारी हल्का रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में जिस स्थान पर खसरा नंबर 1570 दर्ज किया है, उसके स्थान पर 1571 दर्ज करवाए और 1571 को रास्ते में बताकर दर्शाया है उसको हटाया जावे व जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करवावे।

1.14 बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.2020 को ग्राम शिवाड़ में उत्पन्न हुआ जब पटवारी हल्का शिवाड़ ए ने खसरा नंबर 1571 को खसरा नंबर 1570 बताकर धारा 91 एल0आर0 एक्ट के तहत प्रतिवादी को रिपोर्ट करने व मौके से बेदखल करने की धमकी दी जिससे यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया।

1.15 प्रार्थीण प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी खसरा नंबर 1570 पटवार रिकॉर्ड के नक्शा ट्रेस में गलत दर्शा दिया गया है, जबकि यह मूलशीट में खसरा नंबर 1571 है। इस प्रकार मूलशीट व पटवार हल्का रिकॉर्ड की शीट में विरोधाभास है। मूलशीट ही विश्वसनीय होती है। इसमें पटवारी हल्का द्वारा कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है। यदि किया गया है तो वह रिकॉर्ड में हेराफेरी है। इसलिये प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 1571 की बखूबी साबित है। मूल रिकॉर्ड नक्शा शीट से वर्तमान पटवार रिकॉर्ड का मिलान किया जावे तो पटवार हल्का का रिकॉर्ड गलत साबित हो जाता है। अतः प्रथमदृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी भी साबित है। अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी सिद्ध है, क्योंकि प्रार्थीगण खसरा नंबर 1571 व 1572 रकबा 1.26 है0 के 0.68 है0 के खातेदार हैं एवं मौके परा काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण का मौके पर

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

Scanned with CamScanner

रिहायशी मकान भी बना हुआ है। यदि खसरा नंबर 1571 रकबा 0.66 है0 को खसरा नंबर 1570 किस्म गै0मु0 चारागाह बताकर अप्रार्थी को मौके से बेदखल कर दिया तो प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि से बेदखल हो जावेगा तथा बर्बाद हो जायेगा, लाखों रूपये का मकान ध्वस्त हो जायेगा, जिसकी पूर्ति होना संभव नहीं है। दूसरी तरफ अप्रार्थी अगर बेदखली की कार्यावाही नहीं करता है तो सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा।

1.16 अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे की वह वाद के अंतिम निर्णय तक खसरा नंबर 1570 जो वास्तव में खसरा नंबर 1571 है, परन्तु पटवार रिकॉर्ड में 1570 दर्ज रखा है, इससे प्रार्थीगण को बेदखली नहीं करे, पैनल्टी वसूल नहीं करे तथा मौके की स्थिति यथावत बनाए रखे, किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करें तथा पाबंद रहे।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई।

3. तहसीलदार (अप्रार्थी) ने अपना जवाब पेश किया, जो इस प्रकार है–

3.1 प्रार्थी खसरा नम्बर 1571 रकबा 0.66 है0 किस्म गै0मु0रास्ता, खसरा नम्बर 1572 रकबा 0.60 है0 किस्म बारानी 1 वाके ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड ए में श्योनारायण पुत्र छीतर हि01/7, सन्तरा पुत्री छीतर हि01/7, छोटी पत्नि स्व0 छीतर हि01/7, गुड्डी पुत्री अम्बालाल हि01/7 जाति बागरिया, राजाराम पुत्र सुखदेवा हि01/7, रामकिशन पुत्र लालूराम हि01/7, गोपाल पुत्र सुखदेवा हि.4/35 जाति जाट के नाम खातेदारी दर्ज है।

3.2 ख0नं0 1752 रकबा 1.14 है0 किस्म बारानी 1, ख0नं0 1753 रकबा 0.12 किस्म बंजड मुकेश छोटू शंकर राजाराम गोपाल पि0 सुखदेवा जाति जाट हि.1/2, रामकिशन पुत्र लालू जाति जाट हि.1/2 के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर, खसरा नम्बर 1571 के पास स्थित है।

3.3 पटवार रिकार्ड नक्शा ट्रेस के अनुसार ख0नं0 1570 रकबा 0.30 है0 किस्म गै0मु0चारागाह पर राजाराम पुत्र सुखदेवा ने 0.27 है0 तथा मुकेश पुत्र सुखेदवा 0.03 है0 ने (मकान) पर अतिकमण किया हुआ है जिसकी धारा 91 के तहत कार्यवाही कर दी गई है।

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

Scanned with CamScanner

3.4 साबिक खसरा नम्बर 1034/1 रकबा 34 बीघा 14 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 1570, 1571, 1572, 1752 तथा 1753 बने है। यह मिलान क्षेत्रफल के अनुसार सही है।

3.5 पटवार रिकार्ड की शीट व तहसील के रिकार्ड की शीट में विरोधाभास है जिसमें तहसील का रिकार्ड मान्य है। पटवारी हल्का द्वारा पटवारी द्वारा उसके रिकार्ड पर रिपोर्ट धारा 91 में की जाती है। जिस पर कार्यवाही सुनवाई का अवसर देकर की जाती है तथा निर्णय पारित किया जाता है।

3.6 प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण का सिद्ध नहीं है। वर्तमान में पटवार रिकार्ड के अनुसार रिपोर्ट खसरा नम्बर 1569, 1570 व 1574 की जाती है।

3.7 विशेष विवरणः— खसरा नम्बर 1710 गै0मु0 चरागाह, जो मौके पर रास्ता है। यह रास्ता खसरा नम्बर 1578 से 1777 तक जा रहा है। खसरा नम्बर 1710, खसरा नम्बर 1752 से लगता हुआ है। खसरा नम्बर 1710 की नाप करने पर लगभग 0.50 है0 ही बैठता है। मुताबिक रिकार्ड भी खसरा नम्बर 1710 का रकबा 0.50 है0 ही है। खसरा नम्बर 1571 रकबा 0.66 जो कि रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज है, वह वादीगणों के कब्जे काश्त में है जिसकी कंघी, परकार से नाप करने पर 0.66 है0 ही बैठता है। मूल शीट के अनुसार खसरा नम्बर 1571, ख0नं0 1710 के पश्चिमी दिशा व ख0नं0 1570 के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। खसरा नम्बर 1570 गै0मु0चरागाह मुताबिक रिकार्ड 0.30 है0 है जिसकी कंघी एवं परकार से नाप करने पर रकबा लगभग 0.30 है0 ही बैठता है।

4. हमने बहस उभयपक्षीय ध्यानपूर्वक सुनी।

4.1 वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए बताया कि खसरा नंबर 1571 रकबा 0.66 है0 व खसरा नंबर 1572 रकबा 0.60 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.26 है0 प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व रामकिशन, गुड्डी, छोटी, श्योनारायण एवं सन्तरा जाति बागरिया के नाम खातेदारी में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का कुल हिस्सा 19/35 रकबा 0.684 है0 है। खसरा नंबर 1570 रकबा 0.3 है0 गै0मु0 चारागाह है। उपरोक्त खसरा नंबर एवं कुछ अन्य खसरा नंबर यथा 1570, 1571,1572,1752 व 1752 साकिब खसरा नंबर 1034 रकबा 34 बीघा 14 बिस्वा से सेटलमेंट विभाग ने भू–सर्वेक्षण करके बनाये हैं।

4.2 प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वज सुखदेव व रामकिशन जाति जाट निवासी शिवाड़ ने साबिक खसरा नंबर 1034/1 की 5 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड

उप जिला कलक्टर
चौथ का बरवाड़ा

Scanned with CamScanner

विक्रय पत्र दिनांक 26.04.2000 को क्रय की थी और जिस भू–भाग पर विक्रेता रंगा, कल्याण व नानगी का कब्जा था, उसी स्थान पर कब्जा प्राप्त कर लिया था एवं लगातार काश्त करते चले आ रहे हैं।

4.3 वकील प्रार्थी ने बताया कि सेटलमेंट विभाग ने भू–सर्वेक्षण के दौरान जिस भूमि (वर्तमान खसरा नंबर 1571 व 1572) पर प्रार्थीगण का कब्जा था, उसको श्योनारायण, गंगाराम, छीतर आदि के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया एवं खसरा नंबर 1571 रकबा 0.66 है0 की किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दी, जिसको शुद्ध कराने के लिये एक प्रार्थना पत्र (पत्रावली संख्या 166/2011) न्यायालय उप जिला कलेक्टर, चौथ का बरवाड़ा में पेश किया गया जो अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में फैसल होकर जिला अभिलेखागार में भिजवा दिया गया। जबकि आदेशिका पर 28.02.2014 के आदेश के अनुसार अप्राथीगण की तामील समाचार पत्र के माध्यम से कराने हेतु समय चाहा गया और पत्रावली को 23.04.2014 को पेश होने के आदेश दिये गये।

4.4 वकील प्रार्थी ने बताया कि सन् 2014 तक पत्रावली का निर्णय नहीं होने और रिकॉर्ड में भूमि अन्य व्यक्तियों के नाम होने का फायदा उठाकर भूमि को बेचे जाने के भय से प्रार्थीगण ने जिन अन्य व्यक्तियों के नाम सेटलमेंट द्वारा गलती से खसरा नंबर 1571 एवं 1572 की खातेदारी दर्ज कर दी गई थी, उनसे तीन अलग–अलग विक्रय पत्रों द्वारा उपरोक्त खसरों में से 19/35 हिस्सा 0.684 है0 खरीद कर अपने नाम दर्ज करवा लिया, जिसमें प्रार्थीगण पूर्व से ही काबिज चले आ रहे थे। और जिसमें प्रार्थीगण का निवास हेतु मकान भी बना हुआ है।

4.5 वकील प्रार्थी ने बताया कि खसरा नंबर 1710 रकबा 0.50 है0, जो कि साबिक खसरा नंबर 1034/1 से ही बना है, को सेटलमेंट विभाग ने मूल शीट ने रास्ते के रूप में दिखाया है। मूल शीट मे यह रास्ता 1754 की हद तक जाता है।

4.6 वकील प्रार्थी ने बताया कि पटवारी की शीट में 1571 के स्थान पर 1570 गलती से दर्शा दिया गया है, और 1571 को चारागाह में रास्ते के भाग को बनाकर दर्शा दिया गया है। जबकि मूल शीट के अनुसार रास्ता खसरा नंबर 1710, किस्म गै0मु0 चारागाह रकबा 0.50 है0 में है। मूल शीट में जिस भू भाग को खसरा नंबर 1571 दर्शाया था, उसके स्थान पर पटवारी शीट में खसरा नंबर 1570 दर्शाये जाने की वजह से प्रार्थीगण के खिलाफ एल0आर0 एक्ट की धारा 91 के तहत चारागाह पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट होती है

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

Scanned with CamScanner

और प्रार्थीगण से पैनल्टी वसूल की जाती है, जबकि प्रार्थीगण बोनाफाईड पर्चेजर है और खातेदार काश्तकार हैं। इस प्रकार पटवारी की उपरोक्त कार्यवाही प्रारंभ से ही अवैध है।

4.7 वकील प्रार्थी ने बताया कि मूल शीट पटवारी की शीट में विरोधाभास होने पर मूल शीट ही विश्वसनीय होती है।

4.8 वकील प्रार्थी ने अंत में वाद के अंतिम निर्णय तक पटवारी शीट में खसरा नंबर 1570, जो कि मूल शीट में खसरा नंबर 1571 है, से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करने और पैनल्टी वसूल नहीं करने के लिये अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने की प्रार्थना की।

4.9 वकील प्रार्थी ने बहस की कि इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया केस बखूबी साबित है और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है। प्रार्थीगण खसरा नंबर 1571 व 1572 कुल रकबा 1.26 है0 के 19/35 हिस्से, 0.68 है0 के खातेदार काश्तकार हैं और मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, जिसमें एक रिहायशी मकान भी बना हुआ है। यदि उक्त भू–भाग को 1570 किस्म गै0मु0 चारागाह बताकर अप्रार्थी ने प्रार्थीगण को मौके से बेदखल कर दिया जो वे बर्बाद हो जायेंगे और उनका लाखों रूपये का मकान ध्वस्त हो जायेगा। इस प्रकार अपूरणीय क्षति और सुविधा कस संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी सिद्ध है।

5.1 तहसीलदार (अप्रार्थी) ने अपने जवाब में खसरा नंबर 1570 रकबा 0.30 है0 किस्म गै0मु0 चारागाह पर राजाराम पुत्र सुखदेवा द्वारा 0.27 है0 पर मुकेश पुत्र सुखदेवा द्वारा 0.03 है0 पर (मकान) अतिक्रमण होना और उनके खिलाफ धारा 91 एल0आर0 एक्ट की कार्यवाही करना बताया है।

5.2 तहसीलदार (अप्रार्थी) ने अपने जवाब में बताया है कि पटवार रिकॉर्ड की शीट व तहसील रिकॉर्ड की शीट में विरोधाभास है, जिसमें तहसील का रिकॉर्ड मान्य है। पटवारी हल्का द्वारा उसके रिकॉर्ड के अनुसार धारा 91 एल0आर0 एक्ट की कार्यवाही की जाती है, जिस पर कार्यवाही के दौरान सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित किया जाता है।

5.3 तहसीलदार (अप्रार्थी) ने अपने जवाब में बताया है कि खसरा नम्बर 1710 गै0मु0 चरागाह, जो मौके पर रास्ता है, यह रास्ता खसरा नम्बर 1578 से 1777 तक जा रहा है। खसरा नम्बर 1710, खसरा नम्बर 1752 से लगता हुआ है। खसरा नम्बर 1710 की नाप करने पर लगभग 0.50 है0 ही बैठता है। मुताबिक रिकार्ड भी खसरा नम्बर 1710 का रकबा 0.50 है0 ही है।

उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा

Scanned with CamScanner

खसरा नम्बर 1571 रकबा 0.66 जो कि रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज है, वह वादीगणों के कब्जे काश्त में है जिसकी कंधी, परकार से नाप करने पर 0.66 है0 ही बैठता है। मूल शीट के अनुसार खसरा नम्बर 1571, ख0नं0 1710 के पश्चिमी दिशा व ख0नं0 1570 के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। खसरा नम्बर 1570 गै0मु0चरागाह मुताबिक रिकार्ड 0.30 है0 है जिसकी कंधी एवं परकार से नाप करने पर रकबा लगभग 0.30 है0 ही बैठता है।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता एवं नायब तहसीलदार (पैरोकार अप्रार्थी) की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु तीन बिन्दुओं पहला प्रथम दृष्टया केस, दूसरा अपूरणीय क्षति एवं तीसरा सुविधा के संतुलन के संबंध में ध्यान पूर्वक विचार किया।

6.1 <u>प्रथम दृष्टया केसः–</u>

दोनों पक्षों ने इस बात को स्वीकार किया है कि खसरा नंबर 1571 रकबा 0.66 है0 व खसरा नंबर 1572 रकबा 0.60 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.26 है0 प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व रामकिशन, गुड्डी, छोटी, श्योनारायण एवं सन्तरा जाति बागरिया के नाम खातेदारी में दर्ज है।

वकील प्रार्थी का मख्य तर्क यह है कि सेटलमेंट के बाद जारी की गई मूल शीट में जिस भू–भाग पर खसरा नंबर 1571 रकबा 0.66 है0 दर्शाया गया था उस स्थान पर पटवारी शीट में गलत दर्शाते हुए खसरा नंबर 1570 रकबा 0.30 है0 दर्शाया गया है। जिसकी वजह से पटवारी द्वारा खसरा नंबर 1570 रकबा 0.30 है0 किस्म गै0मु0 चारागाह पर, एल0आर0 एक्ट धारा 91 की कार्यवाही किये जाने से अप्रार्थीगण, जो कि उक्त भूमि (खसरा नंबर 1571 रकबा 0.66 है0) के बोनाफाईड केता हैं और रिकॉर्डेड सहखातेदार हैं, के खिलाफ अवैध कार्यवाही करते हुए पैनल्टी वसूली जाती है और बेदखली का भय बना हुआ है। वकील प्रार्थी के अनुसार प्राथीगण 26.04.2000 से कय करने के बाद से ही उक्त भूमि में मौके पर काबिज है, जिसमें उनका मकान भी बना हुआ है।

तहसीलदार (अप्रार्थी) ने अपने जवाब में तहसील के रिकॉर्ड की शीट में और पटवार रिकॉर्ड की शीट में विरोधाभास होना स्वीकार किया है, साथ ही ऐसे विरोधाभास की स्थिति में तहसील का रिकॉर्ड मान्य होने के बारे में बताया है। साथ ही तहसीलदार (अप्रार्थी) के अनुसार मूल शीट में नापने पर खसरा नंबर 1571 खसरा नंबर 1570 और खसरा नंबर 1710 का क्षेत्रफल भी रिकॉर्ड से मिलान करता है।

उपखण्ड ... कलक्टर
चौथ का बरवाड़ा

Scanned with CamScanner

इस प्रकार तहसील की मूल शीट में खसरा नंबर 1571 को जिस स्थान पर दिखाया हुआ है, पटवारी शीट में वह उस स्थान पर न होकर कहीं ओर है, और खसरा नंबर 1571 की जगह पटवारी शीट में 1570 दर्शाया गया है, जिसकी वजह से प्रार्थीगण, जो कि खसरा नंबर 1571 के रिकॉर्डेड खातेदार हैं, के खिलाफ तहसीलदार द्वारा एल0आर0 एक्ट धारा 91 की कार्यवाही की जा रही है। अतः खसरा नंबर 1571 को पटवारी शीट में गलत दर्शाये जाने के संबंध में केस प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में है।

6.2 <u>अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन</u> :–

यदि तहसीलदार द्वारा पटवारी शीट को आधार मानते हुए, जो कि प्रथम दृष्टया तहसील से मूल शीट से मिलान न होने के कारण गलत है, खसरा नंबर 1571 के रिकॉर्डेड खातेदारों के खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही कर उन्हे बेदखल किया जाता है एवं उनका मकान ध्वस्त कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी।

साथ ही सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में पाया गया है।

इस प्रकार मैं अप्रार्थी को अस्थाई व्यादेश से पाबंद किया जाना उचित समझता हूं।

–:<u>आदेश</u>:–

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं वकील उभयपक्ष की बहस के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी को वाद का निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाद का निस्तारण होने तक खसरा नंबर 1570 रकबा 0.30 है0 किस्म गै0 मु0 चारागाह के संबंध में पटवारी रिकॉर्ड के नक्शे के अनुसार प्रार्थीगण के विरूद्ध एल0आर0 एक्ट धारा 91 की पैनल्टी वसूल करने और बेदखल करने की कार्यवाही नहीं करे। विवादित खसरा नंबरा 1570 रकबा 0.30 है व खसरा नंबर 1571 रकबा 0.66 है0 के संबंध में कोई भी कार्यवाही तहसील की मूल नक्शा शीट के अनुसार ही की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर वादपत्र के साथ हमकिता हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

Scanned with CamScanner